छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 6, 1935)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये -

(i) राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन.

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-4), छत्तीसगढ़ शासन एवं

(iii) राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-5), छत्तीसगढ़ शासन **पटल पर रखेंगे.**

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का दशम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 (1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013) **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री जनकराम वर्मा, सदस्य, जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार में अव्यवस्था व्याप्त होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री टी.एस. सिंहदेव, बघेल लखेश्वर, चिंतामणी महाराज, सदस्य, इंजीनियरिंग कालेजों में संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को मानदेय भुगतान में अनियमितता किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निजी तकनीकी शिक्षा बोर्ड को समैक्यता प्रदान किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री देवजी पटेल, सदस्य, जिला-रायपुर के तहसील कार्यालय में नामांतरण में अनियमितता व्याप्त होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री उमेश पटेल, सदस्य, जिला रायगढ़ के धरमजयगढ़ क्षेत्र में नाबालिग युवक-युवतियों के लापता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य, बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, मार्कफेड द्वारा अनुपयोगी बारदाने गोदामों में रखे जाकर गोदाम मालिकों को लाभ पहुंचाये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री मनोज सिंह मण्डावी, बघेल लखेश्वर, शंकर ध्रुवा, सदस्य, जिला कांकेर के आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र सुरेली में अध्ययनरत आदिवासी छात्रा के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमशः 2

(9) सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, अरूण वोरा, जनकराम वर्मा, सदस्य, प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में धान भीगकर खराब होने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा में शिवरीनारायण बैराज तथा बसंतपुर बैराज निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री सियाराम कौशिक, बघेल लखेश्वर, सदस्य, जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विकासखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चांवल की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री अमरजीत भगत, सदस्य, बिलासपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा खेल परिसर निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री दलेश्वर साहू, राजेन्द्र कुमार राय, श्यामलाल कंवर, सदस्य, जिला-राजनांदगांव में डोंगरगढ़ परिक्षेत्र के वन अधिकारियों की प्रताड़ना से एक आदिवासी की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पंचायत में पाईप लाईन विस्तार कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री मोहन मरकाम, सदस्य, जिला-सुकमा के आवासीय विद्यालय, पोलमपल्ली में अध्ययनरत छात्रा के साथ अनाचार किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य, महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम परसाहीदादर में निवासरत आदिवासियों की झोपड़ियों को तोड़े जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा शहर में जल आवर्धन योजना से जल प्रदाय प्रारंभ नहीं होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री संतोष बाफना, सदस्य, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत देवपुर में निर्माण कार्यो में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम, सदस्य, बस्तर संभाग में सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी नहीं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर अंचल में चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, जगदलपुर में कोसारटेडा बांध के प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का कम भुगतान किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री बघेल लखेश्वर,चुन्नीलाल साहू(अकलतरा),अरूण वोरा,सदस्य,छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एंटी टिटनेस वैक्सीन खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य, रामानुजगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी का भुगतान शेष होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्री भूपेश बघेल, सदस्य, जिला बेमेतरा अंतर्गत नगर पंचायत थानखम्हरिया में सल्फासयुक्त चना भूंसी खाने से मवेशियों की मौत होने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, गिरवर जंघेल, भोलाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों को वर्षा बीमा राशि का भुगतान कम दिये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री देवजी पटेल, सदस्य, जनपद पंचायत पथरिया के अध्यक्ष के लापता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, सदस्य, दुर्ग जिला अंतर्गत अर्पणा कार्बन कंपनी भटगांव द्वारा वेस्ट एसिड को शिवनाथ नदी में छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमशः 3

(28) श्री लाभचंद बाफना, सदस्य, साजा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री सड़क योजना तथा प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, राजीव गांधी शिक्षा मिशन तथा सर्वशिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत गणवेश सिलाई में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा में पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले में सहायक संचालक द्वारा मछली बीज खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री गिरवर जंघेल, सदस्य, खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नलकूप खनन में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बम्हनीडीह में राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, जिला बलौदाबाजार में अंबुजा सीमेंट संयंत्र को राजमार्ग क्रमांक-10 की जमीन आवंटित किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) सर्वश्री अरूण वोरा, बृहस्पत सिंह, सदस्य, दुर्ग शहर में गंदे पानी प्रदाय से पीलिया फैलने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री जयसिंह अग्रवाल, सदस्य, जिला कोरबा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्तरहीन सामग्री प्रदाय किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री दलेश्वर साहू , सदस्य, डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में अनियमितता की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य, जिला कोरबा अंतर्गत -

- (i) शासकीय महाविद्यालय भैंसमा में विज्ञान संकाय प्रारंभ करने,
- (ii) अजगर बहार में हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ करने,
- (iii) फरसवानी के निकट चिचोली नाले पर पुलिया निर्माण करने,
- (iv) बरपाली (जिल्गा) में हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ करने,
- (v) ग्राम पटियापाली में हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ करने,
- (vi) चांपा से कलमागार दाबन नाला पर पुलिया निर्माण करने,
- (vii) मदवानी से कछार, तराईमार कुदमुरा रोड पर छिंदाई नाले पर पुलिया निर्माण करने,
- (viii) पकरिया से नवापारा गाड़ापाली के मध्य सोन नदी पर पुलिया निर्माण करने,
- (ix) नवापारा से रोगदा रोड के मध्य स्थित सोन नदी पर पुलिया निर्माण करने,

(2) डॉ. सनम जांगड़े, सदस्य -

- (i) विकासखंड कसडोल अंतर्गत बोरसी से खुडमुडी मार्ग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत करने,
- (ii) विकासखंड कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सण्डी से गिर्रा (व्हाया कोदवा) मार्ग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत करने,
- (iii) विकासखंड पलारी अंतर्गत ग्राम खैरा से सेमरिया मुख्य मार्ग (व्हाया अमेठी) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत करने,

(3) डॉ. खिलावन साहू, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत-

- (i) ग्राम हथनेवरा (चांपा) में मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन करने,
- (ii) ग्राम सरहर में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

क्रमशः 4

(4) श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य, डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम धोटिया में हाई स्कूल के पास सुखा नाला पर पुलिया निर्माण करने,

(5) श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य, भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम झिरकाटोला में हाई स्कूल खोलने,

(ii) ग्राम भैंसाकन्हार (डू) में हाई स्कूल खोलने,

(iii) बरहेली से कपाली मार्ग पर पुलिया निर्माण करने,

(6) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, जिला रायपुर के विकासखंड अभनपुर अंतर्गत -

(i) ग्राम तोरला में हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ करने तथा

(ii) ग्राम परसुलीडीह में हाई स्कूल प्रारंभ करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

निर्धारित समय

30 मिनट (2) श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक,2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (3) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (4) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (5) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 24 फरवरी, 2014

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.